



ज्ञान मन्दिर विधि महाविद्यालय, नीमच

विवरणिका

सत्र 2016-17



विधि शिक्षा का उत्कृष्ट संस्थान

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से संबद्धता प्राप्त

एल-एल. बी.
तीन वर्षीय पाठ्यक्रम
(6 सेमेस्टर)

Ph: 07423-220274, 230568

E-mail : gmeneemuch@rediffmail.com

Web. : www.gyanmandirnmh.com

Career in Law

आज इक्कीसवीं शताब्दी के भारत में विधि (कानून) की शिक्षा की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। यदि हम इस देश की अदालतों का चित्र देखें तो पायेंगे कि यहाँ लगभग 2 करोड़ 60 लाख मुकदमे फैसले के लिए लंबित है और प्रतिदिन भारी तादाद में नये वाद दायर होते जा रहे हैं।

हम जानते हैं कि प्रत्येक मुकदमे में पुलिस प्रशासन के अलावा पक्ष, विपक्ष, गवाह, वकील आदि मिलाकर लगभग दस व्यक्ति शामिल रहते हैं इस तरह न्यायालयीन कार्यवाहियों के चलते इस देश में 15 से 20 करोड़ व्यक्ति औसत रूप से विधिक कार्यों में सम्मिलित हैं।

इस क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है, विधि विशेषज्ञों को इस प्रोफेशन में अवसर और धन के साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। आज लोग कानून के प्रति जागरूक हैं इसलिए युवा वर्ग कानून की समुचित और संपूर्ण शिक्षा पाने के लिए उत्सुक और लालायित है, अन्य विषयों के समान विधि की शिक्षा में भी गुणवत्ता और विशिष्टता लाना आवश्यक हो गया है।

हमारा प्रयास भी इसी दिशा में है।



महाविद्यालय में विशेष सुविधाएँ

- विक्रम विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची (एल.एल.बी0) में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 15000/-रु. नकद प्रोत्साहन पुरस्कार
- विक्रम विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में द्वितीय से दसवाँ स्थान प्राप्त करने पर 5000/-रु. नकद प्रोत्साहन पुरस्कार
- विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों हेतु वृहद लाइब्रेरी सुविधा।
- इन्टरनेट सुविधा।
- मूट कोर्ट द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
- शासकीय नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा।


पद

- न्यायाधीश वर्ग - 2
- शासकीय अधिवक्ता (ए.डी.पी.ओ.)
- श्रम अधिकारी
- बैंक, बीमा, शासकीय संस्थाओं आदि में विधि अधिकारी
- अधिवक्ता (एडवोकेट) एवं विधि सलाहकार
- कॉरपोरेट लॉयर
- फेमिली लॉयर
- इन्टरनेशनल ट्रेड लॉयर
- प्राध्यापक (एल.एल.एम./नेट पश्चात)

समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है, जो सरकार के प्रतिनिधि कहलाते हैं, जैसे-सालिसीटर, एटॉर्नी जनरल (केन्द्र में) एडवोकेट जनरल (राज्य में) नोटरी,ओथ कमिश्नर आदि।

एल.एल.बी. करने के बाद आप शासकीय क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं या फिर वकालत कर सकते हैं। लॉ के क्षेत्र में जॉब की कोई कमी नहीं है। यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप कहाँ फिट होते हैं। विधि व्यवसाय एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो बिना पुंजी के प्रारम्भ होता है और 100 प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। लॉ करने के बाद आप किसी भी शहर में विधि व्यवसाय कर सकते हैं आपके लिए स्थान बंधन नहीं होता है, ऐसी विश्वव्यापी शिक्षा आपका इंतजार कर रही आप आ रहे हैं ना.....

कानून के क्षेत्र में
केरियर की
कोई कमी नहीं है।
आप स्वयं मूल्यांकन
करके देखें कि
इतने क्षेत्र
किस विषय
में है।





पौधारोपण कार्यक्रम दिनांक 26.08.2015



रासेयो जिला स्तरीय अभिमुखी करण कार्यक्रम



अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में छात्र-छात्रायें



रासेयो शिविर में कार्यक्रम का आनन्द लेते दर्शक



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रीमती मीरा थापा को सम्मानित करते हुए श्री मोहनलाल गर्ग एवं श्री राजेश मानव



मूट कोर्ट प्रशिक्षण देते प्राचार्य डॉ. विवेक नागर एवं डॉ नवीन चौहान



अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुश्री पुष्पा राठौर को सम्मानित करते हुए श्री मोहनलाल गर्ग एवं श्री राजेश मानव



महाविद्यालय में आयोजित मूट कोर्ट का दृश्य



द्वितीय सेमिस्टर के छात्र-छात्राएँ

आवेदन पत्र सहित
मूल्य ₹110

श्री कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस

नीमच फोन : 07423-224380



कुल-गान

जागो.....

जागो, जागो मंगल लोक में

अमृतमय आलोक में

देख भुवन, जाग रहा


जाग रहा, जीवन सागर

हम भी जागें, इस प्रभात में

जागो विश्व-संग अभय में

जागो.....

जागो, जागो मंगल लोक में अमृतमय आलोक में



विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के मूल बाँगला गीत
के आचार्य विनोबा भावे कृत हिन्दी भाषान्तर पर आधारित ।
विक्रम विश्वविद्यालय कुल गान

मन, जाग मंगल लोके अमल अमृतमय नव आलोके ज्योति-विभासित चोखे ॥
हेर गगन भरि जागे सुन्दर, जागे तरंगे जीवनसागर-निर्मल प्राते विश्वेर साथे जाग अभ य अशोके ॥
विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर
की मूल बाँगला रचना

संदेश



प्रिय विद्यार्थियों,

किसी विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है परन्तु हर जगह नियम और कानूनों से बंधा हुआ है। यह कथन हमारे जीवन में विधि के महत्व को प्रतिपादित करता है। इसी कारण विधि के ज्ञान और उसके अध्ययन का महत्व सर्वोपरी है। विधि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तो हैं ही साथ ही व्यक्ति के विकास में भी विधि का अहम योगदान है। विधि हमें अनुशासन सिखाती है और अनुशासन सार्थक जीवन का मूल आधार है।

ज्ञानमंदिर महाविद्यालय नीमच के नवीन सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु मार्गदर्शक के रूप में प्रकाशित विवरणिका का यह नवीन संस्करण निश्चय ही महाविद्यालय के बारे में आपको परिचित कराएगा साथ ही पाठ्यक्रम व प्रवेश संबंधी शासकीय व विश्वविद्यालयीन नियमों कानूनों की जानकारी आपको एक साथ सुलभ हो सकेगी।

महाविद्यालय का हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि अपने विद्यार्थियों को उनके अध्ययन काल में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। महाविद्यालय भी अपने विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहकर विद्वान प्राध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा महाविद्यालय में आयोजित होने वाली शैक्षणोत्तर गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।

महाविद्यालय का अपना समृद्ध ग्रंथालय है जिसमें विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकें व संदर्भ ग्रंथ तथा अन्य ज्ञानवर्द्धक साहित्य उपलब्ध है। ग्रंथालय में बैठकर अध्ययन करने हेतु अध्ययन कक्ष की व्यवस्था भी विद्यार्थियों हेतु की गई है। इस वर्ष INFLIBNET-N-LIST के माध्यम से ई जर्नल्स व ई बुक्स द्वारा अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी विशद अध्ययन के लिये ग्रंथालय और उसमें उपलब्ध साहित्य का भरपूर उपयोग करेंगे।

महाविद्यालय द्वारा अक्टूबर 2014 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से एक राज्य स्तरीय सेमिनार का किया गया था। जिसमें महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये थे। इस वर्ष भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनः महाविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का दायित्व सौंपा है। इस सेमिनार में आप सब विद्यार्थी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे ऐसा विश्वास है।

नवीन सत्र में सफलता की शुभकामनाओं सहित

मोहनलाल गर्ग

अध्यक्ष

शासी निकाय

ज्ञानमंदिर महाविद्यालय, नीमच



फोन नं.
कार्यालय 07423-220274
ग्रंथालय 07423-230568
प्राचार्य निवास 07423-202147

E-Mail Address -
gmcneemuch@rediffmail.com
Web site -
www.gyanmandirnmh.com



विवरणिका

विषयानुक्रम

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय का परिचय 2. प्रवेश नियम 3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र 4. प्रवेश की संख्या 5. पाठ्यक्रम
त्रि - वर्षीय एल-एल. बी. (विधि में स्नातक डिग्री)
0- परीक्षा योजना एवं प्रश्न पत्र
0- सेमीस्टर प्रणाली-सामान्य नियम
0- विश्वविद्यालय परीक्षा 6. शिलेबस 7. परिचयपत्र 8. ड्रेस कोड 9. शुल्क विवरण
(अ) त्रि वर्षीय एल -एल. बी. पाठ्यक्रम (वार्षिक शुल्क)
(ब) म.प्र. राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन
(स) अन्य शुल्क
(द) अमानत निधि के संबंध में नियम
(इ) शुल्क से संबंधित अन्य नियम 10. छात्र परिषद् 11. अध्यापन 12. खेलकूद 13. ग्रंथालय 14. पुरस्कार 15. छात्र सहायता | <ol style="list-style-type: none"> 16. विद्यार्थी सुरक्षा बीमा 17. छात्रवृत्तियाँ 18. वाहन स्टेण्ड 19. लीगल एड क्लीनिक 20. राष्ट्रीय सेवा योजना 21. अनुशासन एवं आचार संहिता 22. रैगिंग के संबंध में छात्रों को दिशा निर्देश 23. सिटीजन चार्टर
उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर |
|---|--|



विवेदन

ज्ञानमंदिर महाविद्यालय निरंतर 51 वर्षों से विधि अध्यापन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है विक्रम विश्वविद्यालय में इस महाविद्यालय को एक श्रेष्ठ महाविद्यालय के रूप में पहचाना जाता है महाविद्यालय में विधि प्राध्यापक विद्यार्थी को अध्ययन में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। नियमित कक्षाओं के अलावा परीक्षा की तैयारी हेतु अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। स्टाफ के सक्रिय सहयोग का ही परिणाम है कि इस महाविद्यालय के छात्र मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। गत वर्ष एल-एल.बी. भाग 3 का परीक्षा परिणाम 91% रहा तथा एल-एल.बी. द्वितीय वर्ष का परिणाम 91% रहा व एल-एल.बी. भाग 1 का परीक्षा परिणाम भी 90% रहा है। विधि के सुचारु अध्यापन हेतु अच्छे विधि प्राध्यापकों की सेवाएं ली जाती हैं इस महाविद्यालय का विधि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट स्थान है महाविद्यालय के कई पूर्व छात्र विधि के क्षेत्र में व अन्य कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये हुए हैं जिसकी सूची काफी लम्बी है यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि भारत वर्ष में विधि पुस्तकों के लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त व कई सम्मानों से सम्मानित श्री बसंतिलाल जी बाबेल इसी महाविद्यालय के विधि के छात्र रहे हैं व विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसी प्रकार महाविद्यालय के छात्र **चंचल बाहेती** ने भी वर्ष 2005-06 में प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। वहीं वर्ष 2006-07 में महाविद्यालय के छात्र **अभिषेक जैन** ने विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर इस महाविद्यालय और नीमच को गौरवान्वित किया है। **कु. चेतना गेहलोत** ने वर्ष 2007-08 में व **कु.वर्णा काछवाल** ने 2008-2009 में विश्वविद्यालय की प्राविण्य-सूची में क्रमशः आठवां व दसवां स्थान प्राप्त किया है। कु. यशा नाहर ने 2011-12 में विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। सत्र-

महाविद्यालय कि पूर्व छात्रा कु.रुचिता गुर्जर का चयन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर हुआ है।

पालकों से विशेष आग्रह -

महाविद्यालय परिवार के द्वारा इस बात का सतत् प्रयास किया जाता है कि संस्था का वातावरण शुद्ध, मधुर एवं शांतिप्रिय रहे जैसा कि शैक्षणिक संस्था के लिये आवश्यक है इस महत्वपूर्ण कार्य में पालकों का सतत् सहयोग आवश्यक है विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के पश्चात पालक अपने दायित्व की इति श्री हो गई है ऐसा समझ लेते हैं जो ठीक नहीं है पालक महाविद्यालय से सतत् संपर्क बनाये रखें ताकि उनका नियंत्रण भी उपयोगी भूमिका अदा कर सकें। तथा कम उपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण या अनुशासन हीनता के कारण उत्पन्न स्थिति में विद्यार्थी को दण्डित करने की आवश्यकता ही न पड़े। महाविद्यालय ऐसी संस्था है जहां आने वाली पीढ़ियों का निर्माण होता है इसलिये उसकी शुद्धता, पवित्रता किसी धार्मिक स्थान से कम नहीं है। महाविद्यालय की शुद्धता और पवित्रता कायम रखने में पालक गण भी सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा है। अंत में बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार की अति आवश्यकता है इसके लिये विद्यार्थियों का सहयोग व सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है इसके बिना सफलता संभव नहीं है। वर्तमान में श्री मोहनलाल जी गर्ग शासीनिकाय के अध्यक्ष हैं एवं उनके व प्रबंध समिति के मार्गदर्शन में यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है एवं आगे भी करता रहेगा, मैं युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य एवं उच्च स्तरीय विधि शिक्षा के लिये संकल्पित हूँ।

डॉ. विवेक नागर

प्राचार्य



महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन अगस्त- अक्टूबर 2016 में किया जाएगा ।

सेमिनार का विषय :

भारत में महिलाओं की स्थिति : मानवाधिकार और कानून के परिप्रेक्ष्य में

भारतीय संस्कृति में नारी को काफी सम्मान प्राप्त है। कहा जाता है कि यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः अर्थात् - जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन हमारे आज के समाज में वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। भारतीय समाज स्त्रियों के प्रति लगातार असहिष्णु होता जा रहा है। यदि हम इतिहास में झांके तो पूर्व में स्थिति ऐसी नहीं थी। परन्तु जैसे जैसे हमारे यहां विदेशी आक्रान्ताओं ने अपने पैर पसारते जैसे जैसे स्त्रियों की सुरक्षा हेतु उन पर तरह तरहके प्रतिबंध लगते गये और धीरे धीरे स्थितियह हो गई है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति दयम दर्ज की होती गई। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मानजनक जीवन यापन हेतु स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात कई कानून बने। इनमें बाल विवाह रोकने हेतु शारदा एक्ट, सती प्रथा निवारण जैसे ऐतिहासिक कानूनों के साथ ही भारत के दण्ड कानूनों में महिलाओं के हित में कई प्रावधान पहले से मौजूद थे उन्हें संशोधित कर और मजबूत बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, पत्रक सम्पत्ति में उत्तराधिकार भ्रूण हत्या पर रोक और अन्य कई श्रम कानून बनाए गए। यही नहीं हिन्दू विवाह कानून में भी कई संशोधन किये गये। जिनसे महिलाओं के प्रति भेदभाव कम हो और उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। जिससे वे समाज में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।

सेमिनार के विषय व उपविषयों में से किसी एक पर विद्यार्थी अपना शोध पत्र अवश्य तैयार करें। विद्यार्थी शोध पत्र तैयार करने में आवश्यक मार्ग दर्शन प्राध्यापकों से प्राप्त कर सकते हैं। शोध पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। हिन्दी में कृति देव और अंग्रेजी में एरियल फोन्ट में प्रस्तुत शोध पत्र ही प्रकाशित होंगे।

उप विषय-

1. विभिन्न विवाह कानून और महिलाएं
2. सम्पत्ति, दत्तक जैसे पारिवारिक विषयों संबंधी कानून और महिलाएं
3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा रोकथाम कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाएं
4. लैंगिक उत्पीड़न रोकने, इममारल ट्रेफिक प्रिवेंशन एक्ट, गर्भ का चिकित्सकीय समान कानून जैसे महिलाओं को सुरक्षा देने संबंधी कानूनों का प्रभाव और महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति
5. विभिन्न दण्ड कानूनों का क्रियान्वयन और महिलाओं की स्थिति
6. प्रसूति प्रसुविधा कानून, बंधुओ मजदूरी पर रोक, जैसे श्रम कानून और महिलाएं
7. समाज में महिलाओं की स्थिति और कानूनों का उस पर प्रभाव
8. महिलाओं की सुरक्षा, मानवाधिकार और कानून के संदर्भ में
9. कामकाजी महिलाओं की शोषण से सुरक्षा और श्रम कानून

डॉ. विवेक नागर

प्राचार्य



ज्ञानमन्दिर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

शासी निकाय

1. श्री मोहन लाल गर्ग (अध्यक्ष) फोन नं. 221412 (नि.) 223012 (का.)
2. डॉ. विवेक नागर (प्राचार्य पदेन सचिव) फोन नं. 202147 (नि.) 9425991876
3. श्री डी.एस. चौरड़िया (प्रतिनिधि साधारण सभा) फोन नं. 220675, 220445 (नि.)
4. श्री विजय शंकर शर्मा (प्रतिनिधि साधारण सभा) फोन नं. 220741 (नि.)
5. रिक्त (स्टाफ प्रतिनिधि)
6. रिक्त (स्टाफ प्रतिनिधि)
7. रिक्त (वि.वि. प्रतिनिधि)
8. रिक्त (वि.वि. प्रतिनिधि)
9. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उच्चैयन संभाग (शासकीय प्रतिनिधि) फोन नं. 0734-2511803

साधारण सभा

1. श्री मोहनलाल गर्ग (अध्यक्ष) फोन नं. 221412 (नि.) 223012 (का.)
2. श्री विजयशंकर शर्मा (सदस्य प्रशासिका) फोन नं. 220741 (नि.)
3. श्री सतीशचन्द्र गोयल फोन नं. 223487 (नि.)
4. श्री सत्यनारायण गगरानी फोन नं. 220765 (नि.)
5. श्री डी. एस. चौरड़िया (सदस्य प्रशासिका) फोन नं. 220245 व 220445
6. श्री घनश्याम पाटीदार फोन नं. 220399
7. श्री नाहर सिंह राठौर फोन नं. 232216
8. श्री प्रेमप्रकाश जैन फोन नं. 220535 -228711
9. श्री राजेश मानव (मंत्री-साधारण सभा) फोन नं. 220312-220311
10. श्री प्रो. रतनलाल जैन फोन नं. 222347 (नि.)
11. श्री जी. एल. जिन्दाणी (कोषाध्यक्ष) मो. 942518639
12. श्री प्रो. अख्तर अली शाह मो. 9893788338
13. श्री प्रो. बंशीलाल पाटीदार मो. 9827353801
14. श्री चन्द्र मोहन भाटिया



ज्ञानमन्दिर महाविद्यालय नीमच (म. प्र.)

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य

डॉ. वितेक नागर (एम.ए., एल.एल.एम.), पी.एच.डी. (लॉ)

☎ 202147 (नि.) 9425991876

नाम	योग्यता	पद	फोन नं.
सहायक प्राध्यापक			
1- श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	एम.काम., एल.एल.एम.	सहायक प्राध्यापक	Mob.9827361645
2- डॉ. नवीन चौहान	एल.एल.एम, पी.एच.डी.	सहायक प्राध्यापक	Mob.7694899071
3- सुश्री कविता सेन	एम.ए., एल.एल.एम.	सहायक प्राध्यापक	Mob.9691668409
4-			
ग्रंथालय विभाग			
1- श्री ओमप्रकाश चौधरी	एम.ए., एम.लिब., एल.एल.बी.	ग्रंथपाल	Mob.9424872251
2- श्री गुरुबचन नरवाले	बी.ए.	बुक लिफ्टर	Mob.9770197972
कार्यालयीन स्टॉफ			
1- श्री शैलेन्द्र वर्मा	बी.कॉम एल.एल.बी.	मुख्य लिपिक एवं लेखापाल	Mob.8225055411
2- श्री प्रवीण पाटीदार	बी.कॉम, कम्प्यूटर ओ.लेवल	कार्यालय सहायक	231388 (नि.)
3- श्री धनश्याम भटनागर	बी.कॉम	लेखा सहायक(अंशकालीन)	Mob.9977766956 Mob.9981865866
अन्य सहयोगी स्टॉफ			
1- श्री जगदीश चन्द्र कैथवास		भृत्य	Mob. 9981844277
2- श्री अर्जुन सिंह		भृत्य	Mob. 9826903665
3- श्री संजय कैथवास		भृत्य	Mob. 8817047244



1. महाविद्यालय का परिचय

ज्ञानमंदिर महाविद्यालय नीमच, 1965 से विधि कक्षाएँ संचालित करता चला आ रहा है महाविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त है। यहाँ त्रिवर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालय का अपना निजी भवन है, समृद्ध ग्रंथालय है जिसमें लगभग 21,289 से अधिक पुस्तकें हैं। यह महाविद्यालय इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है। महाविद्यालय के विद्यार्थी शैक्षणिक और शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों में विश्व-विद्यालय व राज्य स्तर पर उपलब्धियाँ अर्जित करते रहे हैं। महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव सर्वोत्कृष्ट रहा है। नीमच जिला मुख्यालय होकर तीन ओर से राजस्थान राज्य से घिरा हुआ है इस लिए इस महाविद्यालय में मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य के विद्यार्थी विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। नीमच पश्चिमी रेलवे के नीमच रेलवे स्टेशन से तथा महु-नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है और पूरे देश से नीमच का सीधा संपर्क है।

2. प्रवेश नियम

विधि में प्रवेश बी.सी.आई के नियम अनुसार दिया जायेगा महाविद्यालय में प्रवेश मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा।

2.1 विधि में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा बी.सी.आई के नियमानुसार

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में 45% अंक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हेतु, 42% अंक अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हेतु तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग के विद्यार्थियों के हेतु 40% प्राप्तांक होगी।

2.2 प्रवेश हेतु अनर्हतायें/अपात्रतायें

(क) जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो/ या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित

नहीं हुआ हो तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के लिए प्राचार्य अधिकृत नहीं है।

(ख) महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत नहीं है।

3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र:-

आवेदकों को चाहिए कि निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र स्वयं अपने हाथ से भरकर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा आवेदन पत्र के साथ निम्न लिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं

1- अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि

2- चरित्र प्रमाण पत्र

3- जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिये

मेट्रिक या हायर सेकेण्डरी का प्रमाण पत्र या अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि

4- पिछली संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (केवल नवीन प्रवेशार्थियों के लिये)

5- अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिये जाति प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपि

6- आय का प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित) (अनुसूचित जाति - जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग)

7- अध्ययन काल के दौरान अध्ययन रुका हो (गेप ईयर) तो उस अवधि में कहीं किसी महाविद्यालय में अध्ययन नहीं किया है इस आशय का स्व. प्रमाणित शपथ पत्र।

8- पासपोर्ट साइज का फोटो जो आवेदन पत्र पर चिपकाया जावे फोटो नवीनतम होना अनिवार्य है।

9- विक्रम विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से आने वाले प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को उक्त प्रमाण पत्रों के अलावा निम्न प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(अ) पात्रता प्रमाण पत्र (ब) प्रव्रजन प्रमाण पत्र

(स) ऐसा शपथ पत्र कि विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षाओं में उपस्थित रहकर न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति की पूर्ति करेगा।

10- यदि प्रवेशार्थी विक्रम विश्वविद्यालय में नामांकित है तो भी उसे प्रवेश के पश्चात नामांकन आवेदन पत्र आनलाईन भरना होगा व उसकी प्रति महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगी व नामांकन शुल्क देना होगा।

11- मतदाता परिचय पत्र की फोटो कॉपी।

12- एंटी रैगिंग संबन्धी शपथ पत्र की प्रति।

13- ऑनलाईन पंजीयन की प्रति एवं ऑनलाईन महाविद्यालय आवंटन पत्र की प्रति (केवल नवीन प्रवेशार्थियों के लिये)

14- अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जिसकी वांछा आवेदन पत्र में की गई हो।

नोट:- 1- प्रवेश के समय अंक सूचियों/

प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना भी आवश्यक है।

2- आवेदन पत्र में तथ्य छिपाने अथवा गलत जानकारी देने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

3- विक्रम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से प्राप्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा। पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र का है दूसरे विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को प्रव्रजन प्रमाण पत्र व पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाकर महाविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। विद्यार्थियों को महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

स्मरण रहे परीक्षा के लिये किसी विद्यार्थी कि उपस्थिति की गणना कक्षा प्रारंभ होने की तिथि से ही की जायेगी न कि विद्यार्थी के प्रवेश लेने के दिनांक से। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे कक्षाओं में नियमित अध्ययन करें विद्यार्थियों की निजी कठिनाईयों के कारण समय तालिका में परिवर्तन संभव नहीं होगा व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनी सुविधानुसार महाविद्यालय का समय निर्धारित किया जायेगा प्रवेश केवल नियमों के अंतर्गत ही संभव है इस हेतु विद्यार्थी अनुचित दबाव डालने की चेष्टा न करें।

4. प्रवेश की संख्या-

महाविद्यालय में निम्नानुसार निर्धारित संख्या तक प्रवेश दिये जायेंगे।

4. प्रवेश की संख्या-

महाविद्यालय में निम्नानुसार निर्धारित संख्या तक प्रवेश दिये जायेंगे।

1- एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में कुल सीट 160

2- एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में उतीर्ण/एटी केटी प्राप्त छात्र आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।



<p>5. पाठ्यक्रम-</p> <p>(अ) त्रिवर्षीय एलएल.बी. (विधि में स्नातक डिग्री)</p> <p>0- परीक्षा योजना एवं प्रश्न पत्र :</p> <p>एलएल.बी. प्रथम वर्ष प्रथम सेमिस्टर:- सेमिस्टर 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा । प्रश्न पत्र- 1 संविदा प्रथम (संविदा के सामान्य सिद्धांत धारा 1 से 75 और विशिष्ट सहायता)</p> <p>Contract - 1[General Principles of Contract Sec 1 to75 and specific relief]</p> <p>प्रश्न पत्र- 2 संविदा द्वितीय (भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय भागिता अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम और अन्य विशिष्ट संविदायें)</p> <p>Contract - 2[Indian Contract Act, Indian partnership Act, sale of Goods Act and other specific Contract]</p> <p>प्रश्न पत्र-3 दुष्कृति और उपभोक्ता संरक्षण विधि</p> <p>Law of Torts and Consumer Protection Law</p> <p>प्रश्न पत्र-4 अपराध विधि</p> <p>Law of Crimes</p>	<p>एलएल.बी. द्वितीय वर्ष तृतीय सेमिस्टर :</p> <p>सेमिस्टर 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक का होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा ।</p> <p>प्रश्न पत्र- 1 संपत्ति विधि (जिसमें सम्मिलित है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और सुखाधिकार अधिनियम</p> <p>Property Law including Transfer of Property Act and Easement Act</p> <p>प्रश्न पत्र- 2 कम्पनी विधि</p> <p>Company Law</p> <p>प्रश्न पत्र- 3 भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास</p> <p>Indian legal and Constitutional History</p> <p>प्रश्न पत्र- 4 अपराध शास्त्र और दण्ड शास्त्र</p> <p>Criminology and Penology</p>	<p>एल-एल.बी. तृतीय वर्ष पांचवा सेमिस्टर:-</p> <p>सेमिस्टर 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक का होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा ।</p> <p>प्रश्न पत्र- 1 दण्ड प्रक्रिया संहिता, किशोर न्याय अधिनियम और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम</p> <p>Criminal Procedure Code, Juvenile Justice Act and Probation of Offenders Act</p> <p>प्रश्न पत्र- 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता और मर्यादा अधिनियम</p> <p>Code of Civil Procedure and Limitation Act</p> <p>प्रश्न पत्र- 3 साक्ष्य विधि</p> <p>Law of Evidence</p> <p>प्रश्न पत्र- 4 विधि में व्यवहारिक प्रशिक्षण</p> <p>Practical Training in Law</p> <p>प्रश्न पत्र- 5 भूमि विधियां (म.प्र. भू राजस्व व संहिता एवं म.प्र अधिकतम सीमा अधि.और स्थान नियंत्रण विधान)</p> <p>Tenancy Law and M.P. Accomodation control Act)and ceiling act</p>
<p>एलएल.बी. प्रथम वर्ष व द्वितीय सेमिस्टर:-</p> <p>द्वितीय सेमिस्टर 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 मई तक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा ।</p> <p>प्रश्न पत्र- 5 विधि शास्त्र</p> <p>Jurisprudence</p> <p>प्रश्न पत्र- 6 संवैधानिक विधि</p> <p>Constitutional Law</p> <p>प्रश्न पत्र-7 पारिवारिक विधि प्रथम (हिन्दू लॉ)</p> <p>Family Law -1 [Hindu Law]</p> <p>प्रश्न पत्र- 8 पारिवारिक विधि द्वितीय (मुस्लिम लॉ)</p> <p>Family Law - 2 [Muslim Law]</p> <p>प्रश्न पत्र- 9 जनहित पैरवी</p> <p>Public interest Lawyering</p>	<p>एलएल.बी. द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमिस्टर:-</p> <p>सेमिस्टर -1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 मई तक का होगा</p> <p>प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा ।</p> <p>प्रश्न पत्र- 5 प्रशासनिक विधि</p> <p>Administrative Law</p> <p>प्रश्न पत्र- 6 साम्य एवं न्यास</p> <p>Equity and Trust</p> <p>प्रश्न पत्र-7 मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि</p> <p>Human Rights and international Law</p> <p>प्रश्न पत्र- 8 श्रमिक विधियां</p> <p>Labour Laws</p> <p>प्रश्न पत्र- 9 व्यवसायिक नीति शास्त्र, अभिभाषकों की जवाब देही और बार बेंच संबंध</p> <p>Professional Ethics, Accountability for Lawyers and Bar Bench Relations</p>	<p>एल-एल.बी. तृतीय वर्ष छठा सेमिस्टर :-</p> <p>सेमिस्टर 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 मई तक का होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा ।</p> <p>प्रश्न पत्र- 6 मध्यस्थता, सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली</p> <p>Arbitration Conciliation and alternate dispute resolution system.</p> <p>प्रश्न पत्र- 7 पर्यावरण विधि</p> <p>Environmental Law</p> <p>प्रश्न पत्र- 8 संविधियों का निर्वचन</p> <p>Interpretation of statutes</p> <p>प्रश्न पत्र- 9 विधिक भाषा/विधिक में सम्मिलित है सामान्य अंग्रेजी</p> <p>Legal language/Legal including general English</p> <p>प्रश्न पत्र- 10 मूट कोर्ट विचारण पूर्व तैयारी और विचारण में भागीदारी</p> <p>Moot Court, Pre Trial Preparations and Participation in trial Proceedings</p>



General Rules for Three Years Law Course Vikram University, Ujjain (Semester System)

1. The Course for L.L.B. shall be of three years duration. All the colleges shall be whole time (day) colleges. The colleges which are exclusively running morning session will switch over the day session from the academic year 2008-2009. The students who were admitted to the 1st year in the morning/evening session during the academic session 1999-2000 shall be allowed to complete the course.

2. "Candidates seeking admission to the LL.B. degree course must have passed B.A., B.Sc., B. Com. or other qualifying examination from any recognized University and must have secured minimum percent of marks specified under the Admission rules notified by Commissioner. Higher Education. Govt. of Madhya Pradesh from time to time.

3. The Candidates for the LL.B. Degree will be required to pass six semester examinations, which will be held in the month of December and May of each academic year.

4. The Students shall be required to put in a minimum attendance of 75 % of the lectures on each of the subjects as also at tutorials, moot courts and practical training course.

Provided that in exceptional cases for reasons

to be recorded and communicated to the Bar Council of India. The Dean of the faculty of Law and the Principal of Law Colleges may condone attendance Short of those required by the Rule. if the students had attended 60 % of the lectures in the aggregate for the semester or examination as the case may be.

5. A Candidate who, after taking to Bachelor's degree of this University or of any other University recognized for this purpose, has Completed a regular course of study of law in a constituent or an affiliated College of this University for an academic semester shall be eligible for appearing in that aforesaid examination.

6. A Candidate who passed LL.B. First year or Second year Examination from other University, which has introduced either Semester pattern or Annual Examination pattern or Three Year Degree Course in Law after 3 years graduation will not be admitted to III semester (II year) or Vth semester (III year) of LL.B. course unless he has passed the I & II both Semesters (I year) or III & IV both semesters (II year) Examination from the University concerned and provided further that the course is of equivalent standard with almost identical syllabus as is required for the respective examination of this

University. Provided that if a candidate who passed the LL.B. First (I & II Semester both) or Second year (III & IV Semester both) Examination from some other University, desire to appear at the LL.B. Second or Final Year Examination of this University i.e. III or IV Semester respectively of this University, he will be required to appear, alongwith the papers prescribed for the LL.B. second year (III & IV Semester) or Third year (V & VI Semester) in such papers of the previous years examination of this University as did not from the part of the curriculum for LL.B. First year of LL.B; Second year Examination of the University from which he passed the said examination. Provided further that a candidate who has passed from other University in one or more subjects but not in all the subjects included in a paper for the LL.B. First or Second Year Examination of this University would not be exempted from appearing at the said paper of the LL.B. First or Second Year of this University while appearing at the LL.B. Second or Final Examination under above rule : Provided that Nothing in these regulation/ordinances shall interface with the right of a principal to disallow any combination of course of study in his college

7. Rules for promotion to the next higher class (Semester/ Academic Year)

(i) The examinations will be held odd to odd and even to even semester pattern only.



- (ii) If a candidate cleared in all papers but unable to make aggregate 48 % then result - ATKT.
- (iii) If a candidate has covered aggregate 48% but failed in 1 or 2 subject. then result will be - ATKT.
- (iv) If a candidate has cleared all papers and aggregate 48% covered than result will be pass.
- (v) If a candidate has covered 48% aggregate but failed in more than 2 papers then result will be fail.
- (vi) If a candidate has got less than 48% aggregate and failed in any papers than result will be fail.
- (vii) If candidate carries backlog in 4 subjects than he is promoted to next semester.
- (viii) If a student has to be admitted in fifth semester than he has to clear all the four semesters.
- (ix) The sessional marks regarding examination will comprise of 80 Marks Theoretical and 20 marks practical (viva-voce).
- 8.** Revaluation of answer books be allowed as per provision of Ordinance.
- 9.** The subjects and papers for each year of LL.B. shall be prescribed by the Faculty of Law on the recommendations of the board of Studies. Unless provided each paper will carry 100 marks and will be of 3 hours duration.
- 10.** If not provided otherwise the

candidate will have to pass separately in written paper and Practical if any prescribe.

11. The minimum pass marks in each semesters examination shall be 48 percent in the aggregate of all the papers and 36 percent marks in each individual paper. Division to successful candidates for the LL.B. degree will be assigned at the end of Final Year Examination on the basis of the aggregate of the total marks obtained by him at the LL.B. First Year Second Year and Final Year Examination i.e. all Six Semesters as under.
First : 60 No third division shall be awarded.

Second Division : 48 percent or above of the aggregate marks.
Note. : (i) No third division shall be awarded. (ii) Candidates who obtain 75 percent or more marks in the aggregate shall be declared to have passed the LL.B. degree course in the First Division with distinction.

(iii) V.C. Grace marks as per rules can be awarded.

12. for each paper there shall be lecture classes for atleast 3 hours per week.

13. Candidates appearing for the LL.B. Examinations shall have the option of answering questions through the medium of Hindi (Devngri Script) or English.

14. These rules are subject to change in accordance with the directives of Bar Council of India

and instructions issued by Department of Higher Education. Govt. of M.P. from time to time and adopted and notified by the University.

Note : (1) These rules are subject to alteration from time to time.

(2) These rules are subject to the provisions of the Act. Statutes and Ordinances as in force from time to time.

6. सिलेबस :

एल-एल.बी. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष सिलेबस यू.जी.सी. के प्रादर्श प्रारूप अनुसार, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार एवं विक्रम विश्वविद्यालय विधि संकाय द्वारा मान्य एवं स्वीकृत प्रारूप अनुसार होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जायेगा। इसलिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिलेबस अनिवार्यतः देखकर ही अपना अध्ययन करना चाहिए।

7. परिचय पत्र-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक परिचय पत्र दिया जावेगा - प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को परिचय पत्र में समस्त पूर्तियां कर इसमें अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर प्राचार्य से अभिप्रमाणित करवाना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिये एवं महाविद्यालय परिसर में उपस्थिति होने के दौरान किसी भी समय परिचय पत्र मांगने पर दिखाना अनिवार्य है व ग्रंथालय से पुस्तक प्राप्त करते समय, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, खेल विधाओं में भाग लेने हेतु, कॉशन मनी वापस लेते समय भी परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है परिचय पत्र खो जाने पर नया परिचय पत्र रु. 20/- जमा कराने व आवेदन करने पर दिया जायेगा।



8. ड्रेस कोड (गणवेश)

ड्रेस कोड (यूनिफार्म)

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये ड्रेस कोड (यूनिफार्म) निम्नानुसार रहेगा -

समस्त विद्यार्थियों के लिये-

काली पैंट, सफेद शर्ट, काली टाई, काला कोट, काले मोजे एवं काले जूते।

छात्राओं के लिये (विकल्प में) काली साड़ी (प्रिन्टेड) पूरी बाँह का ब्लाउज, काले जूते या सफेद सलवार-सूट एवं काला दुपट्टा एवं काला कोट।

9. शुल्क विवरण-

एल-एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम-

(अ) एल-एल.बी. में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वार्षिक शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

	रूपये
प्रवेश शुल्क	025
अमानत राशि	300
ग्रंथालय शुल्क	1000
छात्र सहायता कोष शुल्क	028
बौद्धिक गतिविधियां शुल्क	400
छात्र संघ शुल्क	200
परिचय पत्र शुल्क	20
विकास शुल्क	1600
क्रीडा शुल्क	120
शिक्षण शुल्क	144
स्थानीय परीक्षा शुल्क	100
रनेह सम्मेलन शुल्क	300
वाहन स्टेण्ड शुल्क	100
सम्बद्धता शुल्क	400
विधि शुल्क	2500
विद्यार्थी सुरक्षा बीमा	13
अनुरक्षण शुल्क	2000
अतिथि अध्यापन शुल्क	3000
पत्रिका शुल्क	50
बार कौंसिल ऑफ इंडिया पंजीयन शुल्क	100
राष्ट्रीय सेवा योजना (स्ववित्तीय) शुल्क	120

योग 12520

(ब) म.प्र. राज्य से बाहर आने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन विक्रम विश्वविद्यालय उच्चैयन के पत्र क्रमांक/प्रशा./सम्मि./02/661 दिनांक 13-6-2002 के अनुसार म.प्र. के बाहर के

विश्वविद्यालयों से विधि संकाय की परीक्षा में शुल्क जमा करने की समयावधि बाबत दी गई सम्मिलित होने वाले छात्रों से पंजीयन शुल्क है तो निर्धारित समयावधि में शेष शुल्क जमा लिया जायेगा जिसका विवरण इस प्रकार है:- करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे विद्यार्थियों (1) प्रांत से बाहर के विश्वविद्यालय से आये का प्रवेश निरस्त समझा जावेगा और उन्हें छात्रों को स्नातक एल-एल.बी. पाठ्यक्रम में परीक्षा फार्म भरने से वंचित कर दिया जावेगा प्रवेश के समय निम्नानुसार प्रवेश शुल्क देना और अगर परीक्षा फार्म भर भी दिया हो तो उसे होगा:-

(अ) प्रवेश के समय विश्वविद्यालय पंजीयन शुल्क 4010 रु. जो विद्यार्थी स्वयं विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा -

(ब) महाविद्यालयीन पंजीयन शुल्क 2500 रु.

(2) प्रत्येक आगामी वर्ष

(क) वि.वि. पंजीयन शुल्क 500 रु.

(ख) महाविद्यालयीन पंजीयन शुल्क 400 रु. उक्त शुल्क जमा होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

नोट:-

1. विश्व विद्यालय द्वारा शुल्क में परिवर्तन करने पर परिवर्तित शुल्क देय होगा।

(स) अन्य शुल्क -

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र 30
चरित्र प्रमाण पत्र 20
डुप्लीकेट परिचय पत्र 20

(द) अमानत निधि के संबंध में नियम -

1. विद्यार्थियों को अमानत राशि की रसीद सम्भाल कर रखनी चाहिए। 2. महाविद्यालय में जिन छात्रों की अमानत निधि जमा है और वे उर्तीण हो कर अगली कक्षा में प्रविष्ट होने वाले हैं उन्हें अमानत राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है

3. अमानत राशि महाविद्यालय छोड़ने पर ही लौटाई जाएगी और इससे पूर्व महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा

4. अमानत राशि महाविद्यालय छोड़ने के बाद तीन वर्ष की अवधि में वापस ले ली जाए अन्यथा तीन वर्ष की अवधि के बाद अमानत राशि नहीं लौटाई जाएगी।

5. अमानत राशि वापसी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ अमानत राशि जमा कराने की रसीद तथा कोई शेष नहीं (नो ड्यूज) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(इ) शुल्क से संबंधित अन्य नियम -

1. विद्यार्थियों को शुल्क में यदि कोई छूट बाद में

परीक्षा में बैठने से वंचित करने का अधिकार महाविद्यालय को होगा।

2. शुल्क वापसी या अन्य किसी प्रकार के कार्यों के लिए विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य है

10. छात्र परिषद -

महाविद्यालय में छात्र परिषद का गठन म.प्र. शासन एवं विक्रम विश्वविद्यालय उच्चैयन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा

11. अध्यापन-

1- महाविद्यालय में कक्षाओं का अध्यापन कार्य जुलाई 2015 से प्रारंभ होगा।

2. परीक्षा के पूर्व से विशेष अध्यापन हेतु ट्यूटोरियल कक्षाएं लगाई जावेगी जिसमें विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान तो कर ही सकेगें विषय का रिविजन भी हो जावेगा। ये कक्षाएं नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त होगी इसीलिए किन्हीं कारणों से किसी विद्यार्थी की वांछित उपस्थित महाविद्यालय में पूर्ण नहीं हो तो वह भी उसे पूरा कर सकेगा।

12- खेल कूद-

महाविद्यालय में वर्तमान में टेबल टेनिस, बेडमिन्टन, शतरंज, एथलेटिक्स, आदि खेल विधाओं की सुविधा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है विगत वर्षों में महाविद्यालय के कई प्रतिभावान विद्यार्थियों ने नीमच जिले का विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व कर

महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है।

खिलाडियों के लिए निर्धारित पात्रता नियम-

1. विक्रम विश्व विद्यालय उच्चैयन द्वारा बनाये गये सभी पात्रता नियम इस महाविद्यालय पर लागू होंगे



2. खिलाड़ी छात्रों को खास तौर से ध्यान रखना होगा कि

(अ) 1 जुलाई 2015 को 25 वर्ष से अधिक आयु न हो

(ब) किसी भी कक्षा में 2 वर्ष से अधिक न रहा हो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किये 7 वर्षों से अधिक न हुए हो या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए 8 वर्षों से अधिक न हुए हो

3. विद्यार्थी की पात्रता विश्व विद्यालय में प्रथम अंकित नामांकन के आधार पर मान्य होगी

4. किसी भी शासकीय अर्द्ध शासकीय संस्थान से पूर्ण कालिक या अंश कालिक या दैनिक वेतन भोगी विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे।

5. महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते समय प्राचार्य द्वारा प्रमाणित परिचय पत्र फोटो लगा हुआ खिलाड़ी अपने साथ रखेंगे।

6. खेल संबंधी अन्य नियम खेलकूद प्रतियोगिता मार्ग दर्शिका म.प्र शासन के अनुसार लागू होंगे

7. गलत जानकारी देने पर खिलाड़ी विद्यार्थी महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। प्रथम वर्ष प्रथम बार के चयन प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों को चयन के पूर्व निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ) विद्यार्थी विद्यालय में संबंधित खेल का दलीय स्तर का खिलाड़ी रहा हो।

(ब) किसी मान्य संस्था का सदस्य होकर जिला संभाग या राज्य स्तर पर किसी मान्य प्रतियोगिता में सम्मिलित हो।

सम्पूर्ण शुल्क यदि कोई हो जमा करना अनिवार्य होगा बीच अध्ययन छोड़ देने पर भी बाकी शुल्क की वसूली महाविद्यालय द्वारा की जा सकेगी।

4. शुल्क की दरें शासन, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रबंधन समिति के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।

13. ग्रंथालय -

ग्रंथालय किसी भी शिक्षण संस्था का हृदय होता है। ग्रंथालय में उपलब्ध साहित्यकी गुणवत्ता व समृद्धता ही शिक्षण संस्था की उत्कृष्टता की पहचान होती है। हर दृष्टिकोण

से देखें तो ज्ञान मंदिर महाविद्यालय ग्रंथालय में उपलब्ध साहित्य उच्च कोटि का है। महाविद्यालय के ग्रंथालय में इस समय 21269 से अधिक पुस्तकें हैं। ग्रंथालय को समृद्ध बनाने में महाविद्यालय की प्रबंध समिति, प्राचार्य, ग्रंथपाल एवं प्राध्यापकों ने काफी योगदान किया है। ग्रंथालय में विधि के राष्ट्रीय स्तर के 7 जर्नल राज्य स्तर के 6 जर्नल क्रय किये जा रहे हैं। पुस्तक आदान-प्रदान करने का समय ग्रंथपाल द्वारा तय किया जाता है। विद्यार्थी महाविद्यालय के समय में ग्रंथालय में बैठकर भी अध्ययन कर सकते हैं।

ग्रंथालय के संग्रह का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। साथ ही पुस्तक आदान-प्रदान भी कम्प्यूटर के माध्यम से हो रहा है। INFLIBNET- N- LIST ने ट्वर्क से कालेज को जोड़ा गया है। अब 6000 E Journals और 135000 E Books का उपयोग विद्यार्थी कर सकेंगे।

ग्रंथालय से संबंधित नियम निम्नानुसार है। इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

1. ग्रंथालय का समय प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक है।

2. विद्यार्थी अपराह्न 1.00 बजे से 4.00 बजे तक ग्रंथालय अध्ययन कक्ष में बैठकर भी अध्ययन कर सकते हैं।

3. विद्यार्थियों को चार (4) पुस्तकें 30 दिन के लिये दी जायेगी।

4. जो विद्यार्थी सेमिस्टर परीक्षा परिणाम आने से पूर्व ग्रंथालय से पुस्तकें लेना चाहते हैं उन्हें अमानत निधि 500 रु. जमा करने पर 2 पुस्तकें 30 दिन के लिये दी जायेगी।

5. नियत तिथि या उसके पूर्व पुस्तकें जमा करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि के पश्चात पुस्तकें जमा करने पर 1 रुपये प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा।

6. ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त या जमा करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिचय पत्र न होने पर पुस्तकें नहीं दी जायेंगी।

7. कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी के नाम से पुस्तकें प्राप्त नहीं कर सकेगा।

8. जिन विद्यार्थियों ने गत सेमिस्टर की पुस्तकें जमा नहीं की हैं उन्हें नवीन सेमिस्टर में पुस्तकें नहीं दी जायेंगी।

9. सेमिस्टर के अन्त में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ग्रंथालय से नोड्यूस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। सेमिस्टर परीक्षा से पूर्व ग्रंथालय से प्राप्त की गई पुस्तकें, अमानत निधि पर प्राप्त पुस्तकें परीक्षा समाप्ति से एक सप्ताह में जमा करना अनिवार्य है।

10. अमानत निधि वापस हेतु दी गई रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रसीद के अभाव में प्राचार्य की अनुमति से ही भुगतान हो सकेगा।

11. पुस्तक गुम हो जाने की दशा में नवीन पुस्तक या उसका वर्तमान मूल्य जमा करना होगा।

12. ग्रंथपाल द्वारा निर्देशित करने पर विद्यार्थी को संबंधित पुस्तक तुरन्त पुस्तकालय में जमा करनी होगी।

13. पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी ग्रंथपाल के निर्देशों का पालन करेंगे।

14. ग्रंथालय में पुस्तकें बड़ी मेहनत से एकत्रित की गई हैं। इन्हें भावी पीढ़ी के लिये सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि अनुशासन में रहकर ग्रंथालय में जो भी प्रलेख उनके अध्ययन हेतु सुलभ हैं। उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

15. पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी ग्रंथपाल के अनुशासन में रहेंगे।

पुस्तकें प्रदाय संबंधी अन्य नियम- ग्रंथपाल द्वारा समय-समय पर सूचना पट पर लगाए जायेंगे।

14. पुरस्कार -

विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के स्नेह सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है इसी तरह वर्ष भर महाविद्यालय की साहित्यिक, सांस्कृतिक खेलकूद आदि अन्य गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थी को भी वार्षिक उत्सव के अवसर पर पुरस्कृत किया जायेगा। विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में प्रथम आने वाले इस महाविद्यालय के छात्र को 15,000 रु. तथा प्राविण्य सूची में दूसरे से दसवें स्थान पर आने वाले महाविद्यालय के छात्र को 5,000 रु. का पुरस्कार महाविद्यालय के शासी निकाय के सदस्य श्री डी.एस. चौरडियाजी द्वारा दिया जायेगा।



15. छात्र सहायता -

निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों या फीस आदि के लिये भी सहायता दी जाती है। प्राचार्य पात्रतानुसार सहायता स्वीकृत करते हैं।

16. विद्यार्थी सुरक्षा बीमा -

म.प्र. शासन द्वारा जनहित में किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत ही ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का सुरक्षा बीमा किया जावे। तदनुसार विद्यार्थियों का बीमा कराया जावेगा।

17. छात्रवृत्तियाँ -

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके लिये पात्र विद्यार्थी महाविद्यालय की छात्र वृत्ति शाखा के संपर्क में रहें। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पूर्व विद्यार्थी को अपनी कक्षा में उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रत्येक प्राध्यापक का प्राचार्य को दिखाना आवश्यक है तभी प्राचार्य छात्रवृत्ति भुगतान हेतु हस्ताक्षर करेंगे।

छात्रवृत्ति का आवेदन प्रवेश से 15 दिवस में ऑनलाईन करना होगा तथा ऑनलाईन भरे गये आवेदन की प्रति के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय की छात्रवृत्ति शाखा में जमा कराना होगा।

18. वाहन स्टेण्ड -

1. महाविद्यालय में सायकलें एवं मोटर सायकलें केवल निर्धारित स्थान पर ही रखी जानी चाहिए अन्य स्थान पर रखे गये वाहनों के लिए विद्यार्थी अर्थ दण्ड के भागी होंगे तथा वाहन की किसी प्रकार की हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
2. वाहन स्टेण्ड पर रखते समय वाहनों में ताला लगाया जाना चाहिए।
3. वाहन स्टेण्ड पर व्यवस्था हेतु भृत्य तैनात है पर वाहन की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।
4. स्टेण्ड की सुविधा अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं रहेगी।

19. लीगल एड क्लिनिक-

नीमच शहर एवं क्षेत्र के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सलाह देने के प्रयोजन से महाविद्यालय में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना की गई है जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापकों में से कोई एक महाविद्यालय के समय में निःशुल्क विधिक सलाह हेतु सदैव उपलब्ध रहता है। लीगल एड क्लिनिक पूर्णतः महाविद्यालय के नियंत्रण में होकर प्राचार्य इसके पदेन सचिव होंगे व शासी निकाय के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होंगे। लीगल एड क्लिनिक के संचालन में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा भी सक्रिय योगदान किया जा रहा है। इस केन्द्र की स्थापना इस क्षेत्र के लिये निश्चय ही अन्य अभिभाषकों एवं समाज सेवी संस्थाओं के लिये मार्गदर्शक साबित होगी।

20. राष्ट्रीय सेवा योजना- युवाओं के नेतृत्व गुण समाज सेवा एवं व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारंभ की गई है। विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

21. अनुशासन एवं आचार संहिता-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय की गरिमा को बनाये रखने के लिये वह पूर्ण अनुशासित रहें एवं निम्न नियमों का पालन करें।

- 1- अध्ययन एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों में अपना ध्यान लगायें एवं अपने सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहें।
- 2- प्रतिदिन सूचना पटल की जानकारी हेतु अवलोकन करते रहें सभी आवश्यक जानकारियां सूचना पटल पर लगाई जाती है।
- 3- सृजनात्मक कार्यों में अपना ध्यान लगायें एवं विध्वंसक गतिविधियों से स्वयं को दूर रखें।
- 4- महाविद्यालय परिसर, पुस्तकालय, कार्यालय, अध्ययन कक्षाओं की सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।
- 5- अपना आचरण सरल, निर्व्यसनी, नम्र, मितव्ययी एवं सादगी पूर्ण बनाये। महाविद्यालय की सीमा में मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
- 6- अश्लील अशोभनीय व्यवहार करने वाले अनैतिक कार्य करने वाले एवं ऐसे अन्य आरोपों से आरोपित विद्यार्थियों को तत्काल

निष्कासित किया जा सकता है इसलिये ऐसे कृत्यों से बचें।

7- महाविद्यालय परिसर में किसी भी स्थान पर कमरों दीवारों आदि पर कुछ भी लिखना गंभीर अनुशासन हीनता मानी जायेगी एवं इसकी पुताई रंगाई का खर्च संबंधित को वहन करना होगा।

8- किसी कठिनाई या समस्या को हल करने में हिंसा अथवा आतंक एवं आन्दोलन का मार्ग नहीं अपनायें। यदि कोई कठिनाई हो तो प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से व शांति पूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

9- वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़े करें।

10- परीक्षा में कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। परीक्षाओं के दौरान तलाशी देने से इंकार करना गंभीर दुराचरण माना जावेगा। नकल करते पकड़े जाने पर नकल प्रकरण बनाया जायेगा और पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।

11- विद्यार्थी अपने व्यवहार में सहपाठियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से नम्रता का व्यवहार करें। एवं कभी भी अशिष्ट-अशोभनीय व्यवहार न करें।

12- आचरण के नियमों के भंग होने पर अन्य विद्यार्थी अपना दायित्व समझकर संबंधित को दण्ड दिलाने में सहयोग देंगे ताकि महाविद्यालय का अनुशासन बना रहें एवं अध्यापन विधिवत सम्पन्न हो सकें।

13- किसी भी तथ्य नियम या सूचना की जानकारी न होना किसी भी दायित्व से मुक्त होने का आधार नहीं माना जायेगा।

14- किसी भी प्रकार की रेगिंग को दण्डनीय अपराध माना जायेगा। और ऐसे प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थियों के लिये निर्णय का आधार प्राचार्य को होगा।

15- स्वयं कक्षा में न जाना और अन्य विद्यार्थी को कक्षा में जाने से रोकना अनुशासन हीनता माना जायेगा।

16. विद्यार्थी सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे या सहायता नहीं मांगेंगे।

17. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में विद्यार्थी पूर्ण सहयोग दें और भाग



लें तथा बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षाओं में अनुपस्थित न रहें व समय-समय पर सत्रीय कार्य हेतु जो दिशा निर्देश महाविद्यालय द्वारा सूचना पट पर लगाए जायें विद्यार्थी उनका अनिवार्यतः पालन करें।

18. विद्यार्थी कक्षा में मोबाइल बंद करके ही बैठे ताकि अन्य विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई बाधा नहीं आये।

अनुशासनात्मक कार्यवाही

म.प्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 16 के अनुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राचार्य द्वारा की जायेगी। अध्यादेश में (1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्ट्रिक्शन के ढण्ड से दण्डित करने का प्रावधान है।

22. रेगिंग के संबंध में छात्रों को दिशा निर्देश -

महाविद्यालय में रेगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है रेगिंग के संबंध में दिशा निर्देश -

1. इस महाविद्यालय में रेगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
 2. नये प्रवेशित छात्र महाविद्यालयों की प्रक्रियाओं, नियमों इत्यादि के लिये वरिष्ठ छात्रों पर अपनी निर्भरता कम से कम रखेंगे।
 3. रेगिंग में निम्न लिखित कार्य शामिल हैं :-
 - वरिष्ठ छात्रों को सर कहलवाना
 - सामुहिक कवायद करवाना
 - वरिष्ठ छात्रों हेतु कक्षा के नोट्स बनवाना
 - अश्लील प्रश्न पूछना
 - शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाना
 - बलपूर्वक कुछ खिलाना या पिलाना
 - छात्र से क्रूरता बरतना जिससे उसकी मृत्यु हो जाये, या उसे चोट पहुंचाना
 - ऐसे अश्लील कार्य जिससे छात्र का भोलापन नष्ट हो जाये
 - बलपूर्वक मूर्खता पूर्ण या उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य करवाना
- ऐसी किसी भी घटना की शिकायत कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी अभिभावक या कोई नागरिक संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को

तत्काल दर्ज कराये। प्राचार्य रेगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर-

1. स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगा।
2. नये प्रवेशित छात्र जो रेगिंग में संलिप्त पाये जायेंगे उनका प्रवेश निरस्त कर सकेगा।
3. पुराने छात्रों को महाविद्यालय से निष्काषित कर सकेगा।
4. यदि रेगिंग किसी पूर्व या अछात्र द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

विशेष- महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय ऑन लाईन वेबसाईट (www.amanmovement.org) के माध्यम से शपथ पत्र भरकर उसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करानी होगी।

23. सिटीजन चार्टर-

उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर

म.प्र. शासन का उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिये कृतसंकल्पित है। विभाग के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है जिनकी शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर शिक्षा विभाग का एवं उनके विश्वविद्यालयों का नियंत्रण है। जनसाधारण की अपेक्षाओं के अनुरूप महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के कार्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है इसी दृष्टिकोण से महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के सम्पादन के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है। तथा नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10/44-97/38-2 दिनांक 6-5-1999 के द्वारा महाविद्यालयों के सभी प्रकार के रिफण्ड एवं क्रय की गई सामग्री के देयकों के भुगतान हेतु 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। व इस कार्य हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य को जिम्मेदार अधिकारी बनाया गया है प्राचार्य द्वारा समय सीमा में काम नहीं करने पर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा से संपर्क किया जा सकता है। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च

शिक्षा द्वारा समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने पर एवं अन्य प्रकार की शिकायत होने पर मंत्रालय स्तर पर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर अतिरिक्त संचालक के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायतों के निराकरण के लिये महाविद्यालय स्तर पर एवं संभाग स्तर पर 15 दिन तथा राज्य स्तर पर 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। शासन के निर्देशानुसार ही नागरिकों के सूचनाथ महाविद्यालय से संबंधित जानकारी तथा प्रवेश के लिये आवश्यक नियम एवं जानकारी तथा महाविद्यालय का सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया जा रहा है।

सूचना:-

विवरणिका में यथा संभव कोई त्रुटि न हो इसका पूर्ण प्रयास किया गया है इसलिये किसी त्रुटि के लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगा। तथा उसका लाभ विद्यार्थी को नहीं मिलेगा विद्यार्थियों को अधिकतम जानकारी देने का प्रयास किया गया है लेकिन यदि नियमों में म. प्र. शासन, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, यू. जी. सी. एवं विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कोई संशोधन किया गया या कोई आदेश दिया गया हो वह अधिभावी माना जायेगा और महाविद्यालय को दोषी नहीं माना जायेगा। विद्यार्थी ने अगर सत्य जानकारीयां छिपाकर प्रवेश लिया है तो उसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा तथा किसी भी न्यायालयीन, या अन्य कार्यवाही के लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

रक्त दान जीवनदान

नेत्रदान महादान

वृक्ष लगाओ पुण्य

कमाओ

जल ही जीवन है



सत्र 2015 - 16 हेतु महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

महाविद्यालय में सत्र 2015 - 16 के लिये निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

1. प्रवेश समिति :-

डॉ. नवीन चौहान (संयोजक/प्रभारी)
श्री अरविन्द गुप्ता
सुश्री कविता सेन

2. यू. जी. सी. समिति :-

श्री ओमप्रकाश चौधरी (संयोजक/प्रभारी)

3. अपलेखन समिति :-

श्री ओमप्रकाश चौधरी (संयोजक/प्रभारी)
श्री अरविन्द गुप्ता

4. युवा उत्सव समिति :-

सुश्री कविता सेन (संयोजक/प्रभारी)
श्री अरविन्द गुप्ता
डॉ. नवीन चौहान

5. ऐन्टी रेगिंग/अनुशासन समिति :-

श्री अरविन्द गुप्ता (संयोजक/प्रभारी)
सुश्री कविता सेन
श्री शैलेन्द्र वर्मा

6. रेड रिबन क्लब :-

श्री अरविन्द गुप्ता (संयोजक/प्रभारी)

8. भारत निर्वाचन मतदाता परिचय पत्र समिति :-

श्री अरविन्द गुप्ता (संयोजक/प्रभारी)



9. विधिक सहायता प्रकोष्ठ :-

डॉ. नवीन चौहान (संयोजक/प्रभारी)

10. आरक्षित एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थी कल्याण समिति :-

श्री अरविन्द गुप्ता (संयोजक/प्रभारी)

श्री प्रवीण पाटीदार

11. क्रीडा समिति :-

श्री अरविन्द गुप्ता (संयोजक/प्रभारी)

14. कम्प्यूटर कार्य प्रभारी :-

श्री ओमप्रकाश चौधरी (संयोजक/प्रभारी)

श्री प्रवीण पाटीदार

15. शासकीय अनुदान संबंधी, वेतन आदि कार्य समिति :-

श्री ओमप्रकाश चौधरी (संयोजक/प्रभारी)

श्री अरविन्द गुप्ता

श्री शैलेन्द्र वर्मा

16. आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ :-

(यू.जी.सी.के. निर्देशानुसार गठित)

श्री विवेक नागर- अध्यक्ष

श्री राजेश मानव- (समाजसेवी) विशेषज्ञ

डॉ. श्री एन.के. डबकरा-(प्राध्यापक) विशेषज्ञ

डॉ. नवीन चौहान - सदस्य

सुश्री कविता सेने -सदस्य

श्री ओमप्रकाश चौधरी- प्रशासनिक अधिकारी

श्री अरविन्द गुप्ता-समन्वयक




महाविद्यालय में आयोजित रासेयो के जिला स्तरीय कार्यक्रम की झलकियां





विद्यार्थियों द्वारा नीमच केन्ट थाना भ्रमण





मध्यप्रदेश गान

सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है ।

विंध्याचल का भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है ।
उर्वर भूमि सगन वन रत्न संपदा जहा अशेष है ।
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है ।

सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ है ।
कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है
हृदय देश का यह, मैं इसका, मेरा मध्यप्रदेश है ।

सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश ।

